

70

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

**समक्ष : मनोज गोयल,  
अध्यक्ष**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 7075-पीबीआर/2017 विरुद्ध आदेश दिनांक 31-3-2016 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 242/बी-105/12-13/33.

मैसर्स फिलिंट होम्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0

द्वारा डायरेक्टर रविन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री वीरेन्द्रसिंह तोमर,  
निवासी 301, प्रतीक मेशन सेंट्रॉल स्कूल के पास मुरार  
परगना व जिला ग्वालियर

..... आवेदक

**विरुद्ध**

1-मध्यप्रदेश शासन

2-श्री गम्भीर सिंह पुत्र श्री दधिराम जाति लोधी  
निवासी ग्राम खेरिया पदमपुर,  
मुरार परगना व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एम.एस.बसंल, अभिभाषक- आवेदक

श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक-अनावेदक क्रमांक 1

**:: आ दे श ::**

( आज दिनांक: 13/1/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा ) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-03-2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।







2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि उपपंजीयक द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र पर कम मुद्रांक शुल्क देय होना पाते हुये विक्रय पत्र परिवद्ध कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 31-3-2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 1,80,80,000/- अवधारित करते हुये कमी मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति रुपये 14,32,800/- निर्धारित की जाकर जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बिना किसी आधार के 1000 वर्गमीटर भूमि की कीमत निकालते हुये 7,000 से गुणा किया गया है और शेष भूमि 0.624 हेक्टेयर का 2 करोड़ रुपये की दर से गुणा किया गया है, जबकि सम्पूर्ण भूमि कृषि भूमि होकर असिंचित भूमि है । इस आधार पर कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बाजार मूल्य निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।


5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य अवधारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को विधिवत् सूचना पत्र जारी कर

तामील कराया गया है और आवेदक द्वारा उपस्थित होकर अभिभाषक पत्र भी प्रस्तुत किया गया है अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-03-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 7076-पीबीआर/2017 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर